झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

प्रथम अपील सं0–80 वर्ष 2019

सुबोध कुमार .... अपीलार्थी

बनाम्

वैष्णवी .... प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री एच0 सी0 मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

अपीलार्थी के लिए :– श्रीमती वंदना सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिएः– श्री गिरीश मोहन सिंह, अधिवक्ता

06/15.01.2020 यद्यपि, यह अपील ऑरिजनल सूट/टाइटल मैट्रिमोनियल सूट सं0 338/2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 02.02.2019 के फैसले और डिक्री के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा तलाक के एक डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) और (i-B) के तहत दायर की गई सूट को सविरोध खारिज कर दिया गया है, लकिन दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा निवेदन किया गया है कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता केन्द्र, बोकारो में समझौता किया है, जिसके तहत दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से अपने संबंधों को 32.5 लाख रूपये स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान पर तोड़ने का फैसला लिया जिसको अपीलार्थी–पति द्वारा प्रतिवादी–पत्नी को अपनी तथा अपनी बेटी के भरण–पोषण के लिए भुगतान किया जाएगा। दोनों पक्ष आगे हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (बी)

के तहत अपना आवेदन निचली अदालत में दायर करने के लिए सहमत हुए हैं, और वे उन शर्तों पर भी सहमत हुए हैं, जिन पर भुगतान किया जाना है।

संयुक्त समझौता याचिका, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है, को भी न्यायालय में दायर की गई है। उसको रिकॉर्ड पर रखा जाए। दोनों पक्ष भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हैं और उनके बीच हुए समझौते को स्वीकार करते हैं।

पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा निवेदन किया गया है कि इस अपील में कुछ भी तय करने को नहीं रह गया है और तद्नुसार इसका निपटारा किया जाए, ताकि दोनों पक्ष अपने बीच हुए समझौते के अनुसार कार्रवाई कर सकें।

यह अपील, पक्षों को उनके बीच हुए समझौते के शर्तों के अनुसार निचली अदालत में उचित कदम उठाने को छूट देते हुए, तद्नुसार, निपटाया जाता है।

(एच0 सी0 मिश्रा, न्याया0)

(दीपक रोशन, न्याया0)